न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/6/2012

उनवान

1. गोविन्दराम पिता नारायण गुर्जर निवासी राखोली, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. हीरा लाल पिता माधु गुर्जर निवासी राखोली,
3. लादू पिता गंगाराम गुर्जर निवासी राखोली,
4. छीतर पिता माधू गुर्जर निवासी राखोली,
5. शंकर पिता नारायण गुर्जर निवासी राखोली,
6. किशन पिता गोविन्द गुर्जर निवासी राखोली,
7. जगदीश पिता गोविन्द गुर्जर निवासी राखोली,
8. नारायण पिता शंभू गुर्जर निवासी राखोली,
9. गोपालपिता धन्ना गुर्जर निवासी राखोली,
10. शैतान सिंह पिता पुष्कर सिंह राजपूत निवासी राखोली
11. विक्रमसिंह पिता छोटू सिंह राजपूत निवासी राखोली
12. उदा पिता धन्ना गुर्जर निवासी राखोली,
13. गोपाल सिंह पिता केशर सिंह राजपूत निवासी राखोली
14. भंवर लाल पिता किशोर गुर्जर निवासी राखोली,
15. रमेश पिता घीसा गुर्जर निवासी राखोली,
16. गोपाल पिता गोविन्द गुर्जर निवासी राखोली,
17. भैरू पिता रूपा गुर्जर निवासी राखोली,
18. देबी लाल पिता माधु गुर्जर निवासी राखोली,
19. पोखर पिता गंगाराम गुर्जर निवासी राखोली,
20. भगवान पिता शंकर गुर्जर निवासी राखोली,
21. भोजा पिता काना गुर्जर निवासी राखोली,
22. नरेश पिता अम्बा लाल गुर्जर निवासी राखोली,
23. सुगना पिता हजारी गुर्जर निवासी राखोली,
24. मदन सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत निवासी राखोली

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

25. किशन गोपाल पिता भोजा गुर्जर निवासी राखोली, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत चांद जी की खेडी जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत चांदजी की खेडी, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. प्रहलाद आत्मज किशोर गुर्जर निवासी राखोली, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. देवी लाल पिता लादु गुर्जर निवासी राखोली, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
5. मदन लाल पिता बालु धाकड निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
6. लाली पत्नि स्व0 शंभू लाल सेन निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी संख्या1/प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या एफ 12–3(2) (32)आरए/11/पार्ट/3602 निर्णय दिनांक 7.3.2011

अभिभाषक : 1. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री दिनेश बापना, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4
3 .श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 20.12.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा ग्राम राखोली ग्राम पंचायत चांद जी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा की चरागाह आराजी नम्बर 99 कुल रकबा 4210 बीघा मे से 9.00 बीघा भूमि आबादी आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किया एवं ग्राम चांद जी की खेडी की उक्त चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु इसी ग्राम की बिलानाम काबिल काश्त आराजी नम्बर 277 रकबा 78.15 बीघा गैर मुमकिन मगरी में से 9.00 बीघा भूमि चारागाह में दर्ज करने की आदेश प्रदान किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.12.2011 को दी गई। तब जाकर बिना विलम्ब किये अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को जानकारी न होने से पक्षकारान शामिल नही थे। इस कारण अपीलार्थीगण को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं थी। उक्त अपील अपीलार्थीगण ग्राम राखोली के प्रतिनिधिगण की हैसियत से पेश कर रहे हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने चरागाह आराजी नम्बर 99 में से 9 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की व बिलानाम आराजी नम्बर 277 में से 9 बीघा भूमि चरागाह हेतु आरक्षित की है जो बिना सार्वजनिक घोषणा किये व बिना आम नागरिक की जानकारी में डाले व बिना आम सभा आहूत किये एवं बिना आम सभा के निर्णय के मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवाकर तथा उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया से प्रस्ताव मंगवाकर किस्त परिवर्तन करते हुए सेट–अपार्ट के आदेश पारित किये हैं जो सर्वथा गलत होकर निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी नम्बर 99 ग्राम राखोली से काफी दूर होकर आबादी विस्तार हेतु उपयोगी नहीं है तथा आराजी नम्बर 277 में से जो भूमि बिलानाम चरागाह दर्ज की गई है वह सर्वथा गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि सेट–अपार्ट किये जाने से पूर्व कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया जिससे स्थानीय नागरिक अपना विरोध दर्ज नहीं करा सके न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत कर पाया । जबकि वादग्रस्त आराजी नम्बर 99 रकबा 9 बीघा जहॉ आरक्षित की गई है वहॉ पर एक सार्वजनिक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नाडी होकर वहॉ पर पशु वगैरह आकर विश्राम करते हैं एवं पानी पीते हैं यदि उक्त भूमि को सेट अपार्ट कर दिया जाता है पशुओं के पानी पीने की एवं विश्राम करने की जगह समाप्त हो जायेगी। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। यह भी कथन किया कि खसरा नम्बर 117 जो कि आबादी दर्ज है के आस–पास की भूमि का आवंटन न कर गांव से दूर की आराजी में से आबादी विस्तार हेतु भूमि सेट अपार्ट की है जो गलत है।

7. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन कियां। प्रत्यर्थी संख्या 5, 6 के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आबादी हेतु आरक्षित की गई भूमि उचित है। मौके पर कई मकान बने हैं व मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान बने होकर लोग निवास करते हैं। अतः निर्णय उचित है व अपील निरस्त की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी,एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । सरपंच ग्राम पंचायत चांद जी की खेडी द्वारा पत्र दिनांक 22.11.2010 को पत्र लिखकर राखोली में चरनोट भूमि आराजी नम्बर 99 रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा में से 9 बीघा भूमि आबादी हेतु एवं ग्राम राखोली की आराजी नम्बर 277 रकबा 78 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म बिलानाम में से 9 बीघा भूमि चरनोट में परिवर्तन करवाने हेत निवेदन किया गया था। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.11.2010 को पर्चा मौका बनाया गया । जिसमें मौतबिरान कालूराम, राजेश, मदन लाल, नाना लाल एवं एक अन्य के हस्ताक्षर किये हुए है। तहसीलदार बिजौलिया द्वारा भी अपने पत्र क्रमांक अभि/10/ दिनांक 22.11.2010 द्वारा भी राखोली में चरनोट भूमि आराजी नम्बर 99 रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा में से 9 बीघा भूमि आबादी हेतु एवं ग्राम राखोली की आराजी नम्बर 277 रकबा 78 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म बिलानाम में से 9 बीघा भूमि चरनोट में परिवर्तन करवाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा भी अपने पत्र क्रमांक राजस्व/प्र.गा.के.सं./2010/128 दिनांक 22.11.2010/30.12.2010 द्वारा भी अनुशंषा की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन निर्णय सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ **न्या**यालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.3.2011 को यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

20/12/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा